

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 14/2025 (Bank Case)

GCMS No. 2025/175

वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय:- यूनिट नम्बर-203 एवं 204, द्वितीय तल, ए विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बून्दर रोड, सेवरी वेस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र-400015 में स्थित एवं कार्यरत है एवं जिसका शाखा कार्यालय- प्रथम तल, मरुझार प्लाजा, एफ-300, श्याम नगर, न्यू सांगानेर रोड, मेट्रो पिल्लर नं०-102 के सामने, सोडाला, जयपुर, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। जय्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री राम दूधवाल।

- प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. Mr. Gokul prasad Nagar ( Borrower/Mortgagor)  
Residence Address: Kanwas Marg Par School Ke pass, Bachhi Heda, Sangod Hingonia, kota- 325602  
Property Address: Khasra no. 730, Village- Bachhiheda, gram panchayat- Hingonia, panchayat simiti- Sangod] Dist. Kota
2. Mr. Badri Lal ( Co-Borrower)  
Residence Address: Bachhi Heda, Sangod Hingonia, kota- 325602  
Property Address: Khasra no. 730, Village- Bachhiheda, gram panchayat- Hingonia, panchayat simiti- Sangod] Dist. Kota
3. Mrs. Rampyari Bai ( Co-Borrower)  
Residence Address: Kanwas Marg Par School Ke Pass, Bachhi Heda, Sangod Hingonia, kota- 325602  
Permanent address: Bachhihera, Hingonia, kota-325602  
Property Address: Khasra no. 730, Village- Bachhiheda, gram panchayat- Hingonia, panchayat simiti- Sangod] Dist. Kota
4. Mrs. Bhojraj Prajapati ( Co-Borrower)  
Residence Address: Kanwas Marg Par School Ke Pass, Bachhi Heda, Sangod Hingonia, kota- 325602  
Property Address: Khasra no. 730, Village- Bachhiheda, gram panchayat- Hingonia, panchayat simiti- Sangod] Dist. Kota

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 10.12.2025

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय:- यूनिट नम्बर-203 एवं 204, द्वितीय तल, ए विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बून्दर रोड, सेवरी वेस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र-400015 में स्थित एवं कार्यरत है एवं जिसका शाखा कार्यालय- प्रथम तल, मरुझार प्लाजा, एफ-300, श्याम नगर, न्यू सांगानेर रोड, मेट्रो पिल्लर नं०-102 के सामने, सोडाला, जयपुर, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 30.08.2017 को खाता संख्या LP50000000007263 में रूपये 10,00,000/- (अक्षरे: दस लाख रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे श्री बद्रीलाल पुत्र श्री

✓

रामगोपाल की एक आवासीय सम्पत्ति, पट्टा संख्या 2458, खसरा संख्या- 730, ग्राम बाछीहेडा, ग्राम पंचायत- हिंगोनिया, पंचायत समिति- सांगोद, तहसील- कनवास, कोटा (राज.) में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट है। जिसकी चर्तुःसीमाएँ पूरब में-आम रास्ता, पश्चिम में- बंटेश का मकान, उत्तर में- रामगोपाल का मकान, दक्षिण में- बजरंग लाल का मकान, है जो प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 05.04.2025 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खातों में 8,12,998/- (अक्षरे आठ लाख, बारह हजार नौ सौ अठानवें रूपये मात्र) वकाया रकम दिनांक 09.04.2025 तक शेष देय है व आगे की वकाया राशि मय व्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 23.04.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय व्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय व्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 23.04.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय व्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 23.04.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय व्याज चुकाने में चूक की है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता श्री बद्रीलाल पुत्र श्री रामगोपाल की एक आवासीय सम्पत्ति, पट्टा संख्या 2458, खसरा संख्या- 730, ग्राम बाछीहेडा, ग्राम पंचायत- हिंगोनिया, पंचायत समिति- सांगोद, तहसील- कनवास, कोटा (राज.) में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट है। जिसकी चर्तुःसीमाएँ पूरब में-आम रास्ता, पश्चिम में- बंटेश का मकान, उत्तर में- रामगोपाल का मकान, दक्षिण में- बजरंग लाल का मकान, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्व कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावे।

आदेश आज दिनांक 12.2025 को सुनाया गया।



(पीयूष सेमारिया)  
जिला मजिस्ट्रेट कोटा  
**जिला मजिस्ट्रेट**  
कोटा (राज०)